8– बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिनकी स्थापना इसके भाग के रूप अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों लिए खुली हैं, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है :–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

राज्य स्तर एवं जनपद स्तर परिक्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अंधत नियत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप मे प्रदेश मे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित है। चिकित्सालयो एव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर नेत्र रोगियो की जॉच एव उपचार कार्य मे पैरा मेडिकल कर्मचारी तैनात किये गये।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यकम के भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यकम है, जिसके कियान्यवन एवं संचालन हेतु नीति निर्धारण, दिशा निर्देशन एव मार्ग दर्शन हेतु सलाहकार बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यकम भारत सरकार के दिशा निर्देशन एवं मार्ग दर्शन के अनुसार संचालित है। उत्तर प्रदेश आरोग्य निधि समिति (दो गैर सरकारी सदस्य, मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित किये गये हैं)।

- बोडों, पर्यवेक्षो, समितियो व अन्य निकायो का गठन न होने के कारण वित्त नियत्रंक के अधीन अनुभागो में उक्त व्यवस्था लागू नही है।